"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2006—आषाढ़ 23, शक 1928

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-342/18/2004.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग एवं 292-ङ सहपठित धारा 433 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग एवं 339-ङ सहपठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 10 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु कालोनाइजर द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए तत्समय प्रचलित नियमानुसार आरक्षित भूमि, नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को सौंपी गई हो तथा जिसके मूल्य का नियमानुसार देय राशि का भुगतान संबंधित नगर पालिका द्वारा कालोनाइजर को नहीं किया गया हो और जो भूमि रिक्त हो, को उपरोक्तानुसार निर्धारित दरों पर आश्रय शुल्क जमा कर देने पर नगर पालिका द्वारा कालोनाइजर के पक्ष में अवमुक्त किया जा सकेगा."

2. नियम 10 के उपनियम (7) में निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नगर पालिक क्षेत्र के लिए संबंधित नगर पालिका का आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी आश्रय शुल्क संग्रहित करेगा जिसे एक पृथक खाता खोलकर जमा किया जावेगा जो संबंधित नगर पालिका के अधीन होगा तथा नगर पालिक क्षेत्र के बाहर किन्तु संबंधित नगर के निवेश क्षेत्र में स्थित क्षेत्र में आश्रय शुल्क जिला कलेक्टर संग्रहित करेगा, जिसे एक पृथक खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जो कलेक्टर के अधीन होगा. उक्त खातों में जमा राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जावेगा."

3. नियम 10 के उपनियम (8) का लोप किया जाए.

4. नियम 15-क में शब्द और अंक "31 दिसम्बर 2002" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 2005" स्थापित किया जाए.

Raipur, the 14th July 2006

NOTIFICATION

No. F 4-342/18/2004.—In exercise of the powers conferred by sections 292-A, 292-B, 292-C and 292-E, read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 339-A, 339-B, 339-C and 339-E, read with Section 335 and 356 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagar Palika (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 1998, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After sub-rule (1) of Rule 10 the following proviso, shall be inserted, namely :—

"Provided any land reserved for the persons belonging to economically weaker sections which had been handed over to the Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat, in accordance with applicable rule at that time by a colonizer for which the cost had not been paid to the colonizer by the municipality and which land is vacant, may be released by the municipality in favour of the colonizer on deposit of shelter fee at the rates prescribed above".

2. In sub-rule (7) of rule 10 the following shall be substituted, namely :—

"The Commissioner/Chief Municipal officer of the concerned municipality shall collect the shelter fee for the municipal area which shall be deposited by opening a separate account which shall be under the municipality concerned and for the area out side the municipal area but located within the planning area of the concerned town, the Collector shall collect shelter fee which shall be deposited by opening a separate account which shall be under the Collector. The funds deposited in the said accounts shall be utilized in accordance with the instructions issued by the State Government from time to time."

3. Sub-rule (8) of Rule 10 shall be omitted.

4. In rule 15-A in the words and figures "31 December 2002", wherever occur the words and figures "31 December 2005" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.